

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

गुणक:- 36/2023

निर्णय दिनांक:- 31.10.2025

पीठरीन अधिवक्ती- शकेश कुगार II (आर.ए.एस.)

1. जगदीश पुत्र धन्ना जाति गुर्जर निवासी ग्राम मदनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
2. हनुमान पुत्र धन्ना जाति गुर्जर निवासी ग्राम मदनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. देवकरण पुत्र धन्ना जाति गुर्जर निवासी ग्राम मदनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
2. भागचन्द पुत्र धन्ना जाति गुर्जर निवासी ग्राम मदनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
3. रतनलाल पुत्र धन्ना जाति जाति गुर्जर निवासी ग्राम मदनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
4. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ इण्डिया शाखा फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
5. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा शाखा फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
6. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
7. उपपंजीयक फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता:- श्री वद्रीनारायण चौधरी अधिवक्ता वादी  
श्री मन्नालाल चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 2  
वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा  
निर्णय

दिनांक:- 31.10.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम मदनपुरा के सम्बन्ध में दिनांक 18.08.2025 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री किया जाकर तहसीलदार फागी को निर्णय व डिक्री की प्रति भेजकर नक्शा व कुरेजात दो दो प्रतियों में भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार फागी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/LR/25/4096 दिनांक 09.10.2025 के द्वारा नक्शे - कुरेजात प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत नक्शा व कुरेजात का अवलोकन वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण को कराया गया। वकील वादी ने नक्शा कुरेजात पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने मुताबिक नक्शा कुरेजात दावा अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने मुताबिक नक्शा - कुरेजात डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की।

अतः तहसीलदार फागी द्वारा भिजवाये गये नक्शा कुरेजात को गलत मानने का कोई आधार नहीं है। वादीया का वाद मुताबिक नक्शा - कुरेजात अन्तिम डिक्री किया जाना उचित है।

अतः वादीया का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है तथा इसी अनुसार लगान फेटबन्दी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मुताबिक निर्णय डिक्री पर्चा जारी हो। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

क्र. स	नाम खातेदार मय वल्लियत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	जगदीश पुत्र धन्ना जाति गुर्जर सा. देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा फागी	113/1	0.2655		

उपखण्ड अधिकारी  
फागी

जगदीश यगी वनाम देवकरण यगी  
गुनः- 36/2023  
निर्णय दिनांक:- 31.10.2025

		50 / 2	0.1770		
		60 / 10	0.1897		
		68 / 1	0.0379		
		280 / 4	0.0278		
		70 / 4	0.0077		
	योग	किता 6	0.7056		
2	देवकरण पुत्र धन्ना जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	110 / 1	0.1391		
		264 / 2	0.5081		
		68 / 1	0.0305		
		280 / 4	0.0278		
	योग	किता 4	0.7055		
3	भागचन्द पुत्र धन्ना जाति गुर्जर सा. देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा फागी	257 / 5	0.4046		
		274 / 4	0.0632		
		74 / 2	0.1517		
		71 / 4	0.0506		
		280 / 4	0.0278		
		70 / 4	0.0077		
	योग	किता 6	0.7056		
4	रतनलाल पुत्र धन्ना जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	264 / 2	0.4782		
		72 / 4	0.1517		
		77 / 2	0.0253		
		70 / 4	0.0226		
		280 / 4	0.0278		
	योग	किता 5	0.7056		



निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
फागी जिला जयपुर

जगदीश वगै० बनाम देवकरण वगै०

मु०न०:- 36/2023

निर्णय दिनांक:- 31.10.2025

डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(ओ.20 रूल 6-7 जाक्ता दीवानी)  
अज अदालत- उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)  
बइजलास- राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)



उनवान

1. जगदीश पुत्र धन्ना जाति गुर्जर निवासी ग्राम मदनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
2. हनुमान पुत्र धन्ना जाति गुर्जर निवासी ग्राम मदनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. देवकरण पुत्र धन्ना जाति गुर्जर निवासी ग्राम मदनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
2. भागचन्द पुत्र धन्ना जाति गुर्जर निवासी ग्राम मदनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
3. स्तनलाल पुत्र धन्न जाति जाति गुर्जर निवासी ग्राम मदनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
4. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ इण्डिया शाखा फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
5. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा शाखा फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
6. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
7. उपपंजीयक फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

प्रतिवादीगण:- वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा :-  
मु०न०:- 36/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु वकील वादी श्री बद्दीनारायण चौधरी हाजिर रुबरु वकील प्रतिवादीगण श्री मन्नालाल चौधरी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है तथा इसी अनुसार लगान फेटबन्दी किये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा - कुरेजात निर्णय डिक्री के पार्ट होंगे।

निज.......... मुबलिया.......... बाबत..........  
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.......... फीसदी..........  
सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.......... का अदा करे।  
बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.10.2025 को जारी की गई।

सत्यमेव जयते

दस्तखत..........  
मुबलिया..........

मुहर

ओहदा.....

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

क्र. सं.	नाम खातेदार मय वल्लियत	खसरा नम्वर	रकबा	किस्म	लगान
1	जगदीश पुत्र धन्ना जाति गुर्जर सा. देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा फागी	113/1	0.2655		
		50/2	0.1770		
		60/10	0.1897		
		68/1	0.0379		
		280/4	0.0278		
		70/4	0.0077		
		योग	किता 6	0.7056	
2	देवकरण पुत्र धन्ना जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	110/1	0.1391		
		264/2	0.5081		
		68/1	0.0305		
		280/4	0.0278		
		योग	किता 4	0.7055	
3	भागचन्द पुत्र धन्ना जाति गुर्जर सा. देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा फागी	257/5	0.4046		
		274/4	0.0632		
		74/2	0.1517		
		71/4	0.0506		
		280/4	0.0278		
		70/4	0.0077		
योग	किता 6	0.7056			
4	रतनलाल पुत्र धन्ना जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	264/2	0.4782		
		72/4	0.1517		
		77/2	0.0253		
		70/4	0.0226		
		280/4	0.0278		
योग	किता 5	0.7056			

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

31/10/25  
(राकेश कुमार II)  
उपखण्ड अधिकारी  
फागी जिला जयपुर